न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला

/22 11.10.2022 24.7.23

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रूपवती आत्मज स्व0 बजरंगा जाति लुहार निवासी ग्राम किशनगंज जिला बांरा तहसील दीगोद (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बगावदा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 487 रकबा 0.6100 है0 भूमि कुल किता 1 रकबा 0.6100 है0 सहखातेदार बखाता राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। यह वादनी का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रूपा बाई पुत्री बजरंगा दर्ज है जो कि गलत नाम दर्ज है जबकि वादनी का वास्तविक नाम रूपवती पुत्री बजरंगा है तथा वादनी को रूपवती के नाम से ही जाना जाता है।

यह कि वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में रूपा बाई दर्ज होने एवं वादनी के पहचान पत्र के दस्तावेज, निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र में रूपवती दर्ज किया जाना अति आवश्यक है।

यह कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रूपा बाई दर्ज होने एवं पहचान पत्र के दस्तावेजों यथा विद्यालय रिकार्ड के आधार पर आधार कार्ड , बैंक खाता, राशनकार्ड, में रूपवती दर्ज होने से वादनी को कृषि ऋण लेने, कृषि पैदावार का प्रोग्राम आदी सुविधाओं का लाभ लेने में व्यवधान पैदा हो रहा है। उक्त कारण से वादी ने प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों को वादी का नाम दुरस्त करने हेतु दिनांक 15.09.2022 को मौखिक निवेदन किया गया तो उन्होने वादनी को नियमित वाद पेश करने की सलाह दी जिस कारण से यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादनी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बगावदा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 487 रकबा 0.6100 है0 भूमि कुल किता 1 रकबा 0.6100 है0 भूमि सह खातेदार बखाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में रूपा बाई के स्थान पर रूपवती दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वादनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में ग्राम बगावदा में खाता संख्या 72 खसरा नम्बर 487 रकबा 0.61 है0 में वादनी का रूपा बाई के स्थान पर रूपाबाई उर्फ रूपवती पुत्री बजरंगा दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बगावदा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 487 रकबा 0.6100 है0 भूमि कुल किता 1 रकबा 0.6100 है0 भूमि में वादनी का नाम रूपाबाई के स्थान पर रूपाबाई उर्फ रूपवती दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद